न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सदस्य महोदय रीवा कैम्प रीवा (म0प्र0)

367
11-7-13

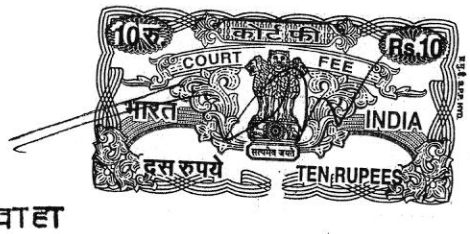

5/-

Regd. 3192-II/13

बृजवासी कुशवाहा ---------- आवेदक

बनाम

देवराज डोहर ---------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश ।

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-35(3)
म0प्र0भू- राजस्व संहिता 1959ई.

अधिवक्ता श्री आ.एन.
(सद्दू ...) द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 11.07.13

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म0प्र0
ग्वालियर

मान्यवर ,

आवेदन-पत्र के आधार निम्न है :-

(01) यहकि उक्त उन्मान की निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी/आवेदक है। तथा सुनवाई हेतु तारीख पेशी दिनाँक-10/07/2013 नियत थी ।

19-8-13

(02) यहकि आवेदक भोपाल में रेल्वे विभाग में नौकरी करता है नियत पेशी 10/7/2013 को जब भोपाल से सतना आया तो बुखार आ जाने के कारण पेशी में उपस्थित नही हो सका, तथा स्व0 रामनिहोर साहू के परिवार में गमी हो जाने के कारण प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नही हो सके , जिस कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका है।

(03) यहकि प्रार्थी/आवेदक जानबूझ कर कोई लापरवाही नही किय है बल्कि उपरोक्त कारण सेही माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो सका है।

अस्तु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि उक्त प्रकरण को पुर्नस्थापित कर सुनवाई में लिए जाने की कृपा की जाय ।

दिनाँक :- 11/07/2013

बृजवासी
प्रार्थी/आवेदक,

(बृजवासी कुशवाहा)

तनय रामप्रसाद कुशवाहा निवासी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक Resto -3192–दो–.2013 **जिला सतना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश बृजवासी / देवराज	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–02–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री आर.एन. साहू उपस्थित। उन्हें प्रकरण में रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। उनके द्वारा रेस्टो. आवेदन में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया गया। रेस्टो. आवेदन पत्र में अंकित किया गया है कि दिनांक 10.7.13 को नियत पेशी पर आवेदक को बुखार आ जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सका तथा आवेदक के अधिवक्ता के परिवार में गमी हो जाने के कारण वह भी उपस्थित नहीं हो सके । इस कारण से सदभावना पूर्वक विचार करते हुए प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने का अनुरोध किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में ऐसा कोई सारवान अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता कि जो परिस्थिति अनुपस्थिति के संबंध में व्यक्त की गयी है वह वही है। आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गयी है जो संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में पुनः नम्बर पर लेने संबधी आवेदन दिनांक 11.7.13 निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	